असंगठित क्षेत्र के जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही सीएम स्वनिधि योजना

मुख्यमंत्री स्व निधि योजना में अधिक से अधिक लोगों लाभ मिलें, इसके लिए जोनवार लगाएं जाएं कैंप - आयुक्त निधि पटेल

योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को दिया जा रहा 80 हजार रुपए तक का लोन, आज सिविल लाइन जोन में लगेगा कैंप

जयपुर। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में जरूरतमंद लोगों को रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से 80 हजार रुपए तक की ऋण राशि दी जा रही है। योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलें, इसके लिए नगर निगम हेरिटेज आयुक्त डॉ निधि पटेल ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का सभी जोन में कैंप लगाने के निर्देश दिए है। इस संबंध में आयुक्त निधि पटेल ने हेरिटेज निगम की डे एनयूएलएम शाखा को निर्देश दिए कि सभी जोन और हेरिटेज निगम के मुख्यालय में कैंप लगाए जाएं और क्षेत्र में रहे रहे स्थानीय जरूरतमंद लोगों से संवाद कर उन्हें योजना का फायदा दिया जाएं। मंगलवार को सिविल लाइन जोन कार्यालय में कैंप का आयोजन किया जाएगा।

80 हजार रुपए तक ऋण राशि का मिलेगा लाभ

आयुक्त डॉ निधि पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 2025 में असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे जरूरतमंदों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। इनमें गिग वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कस, डोमेस्टिक वर्कर, भवन निर्माण श्रमिक, हॉकर्स, रेग पिकर, दस्तकार, अस्थाई सफाई श्रमिक आदि शामिल हो सकते है। इन कार्यों से जुड़े लोग हेरिटेज निगम के डे एनयूएलएम शाखा या शिविरों में जाकर अपना आवेदन कर सकते है। जरूरी दस्तावेज जमा कराने के बाद बैंक के माध्यम से 80 हजार रुपए तक का लोन न्यूनतम ब्याज दर पर मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री स्व निधि योजना में शामिल होने के लिए ये रखी है पात्रता

इस योजना में राजस्थान के मूल निवासी ऋण के लिए 18 से 60 वर्ष तक उम्र के लोग आवेदन कर सकते है। इनके पास मूल दस्तावेज जैसे जनाधार कार्ड, अपने कार्य क्षेत्र का

अनुज्ञा पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र होने जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए हेरिटेज निगम मुख्यालय के डे एनयूएलएम शाखा के कमरा नंबर 141 में संपर्क किया जा सकता है।

योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए यहां लग रहे कैंप

जिला परियोजना अधिकारी अन्नदा राम चौधरी ने बताया कि सिविल लाइन जोन कार्यालय में 26 अगस्त से 28 अगस्त तक कैंप लगाए जाएंगे। इसी तरह किशनपोल जोन कार्यालय में तीन - चार सितंबर और आठ सितंबर और आदर्श नगर जोन कार्यालय में 10 सितंबर से 12 सितंबर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा।